भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3273

07 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

उत्तर प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच

†3273. श्री लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में, विशेषरूप से संत कबीर नगर और अंबेडकर नगर जिलों में गुणवत्तापूर्ण और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में असमानताओं का मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त जिलों के जिला अस्पतालों, सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों, विशेषज्ञों और पैरामेडिकल स्टाफ के स्वीकृत और रिक्त पदों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त जिलों में आईसीयू बेड, ट्रॉमा केयर सुविधाएं, नैदानिक प्रयोगशालाएं, डायलिसिस इकाइयां, सीटी और एमआरआई सुविधाएं, एम्बुलेंस तथा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं सहित उपलब्ध स्वास्थ्य अवसंरचना का ब्यौरा क्या है;

(घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान उक्त जिलों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत और अन्य केंद्रीय स्वास्थ्य योजनाओं के तहत आवंटित, जारी की गई और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है; और

(ड) क्या सरकार का उक्त जिलों में नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने, जिला अस्पतालों का उन्नयन करने, विशेषज्ञ सेवाओं को मजबूत करने और सभी रिक्त पदों को भरने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): "जन स्वास्थ्य" और "अस्पताल" राज्य के विषय हैं, इसलिए इस संबंध में योजना बनाने और उसे कार्यान्वित करने तथा आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त संख्या में स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाकेंद्रों की स्थापना

करने एवं उनका रखरखाव करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के समग्र संसाधनों के अनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर उनकी स्वास्थ्य परिचर्या व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, संत कबीर नगर और अंबेडकर नगर सहित सभी जिलों में स्वास्थ्य संस्थानों, मानव संसाधनों, आवश्यक दवाओं और नैदानिक सुविधाओं का आकलन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। संत कबीर नगर और अंबेडकर नगर जिलों की चिकित्सा इकाईयों सहित, राज्य में सामान्य जन को गुणवत्तापूर्ण और सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

(ख): हेल्थ डायनेमिक्स ऑफ इंडिया (एचडीआई) 2023-24 के अनुसार, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर और अंबेडकर नगर जिलों के जिला अस्पतालों, सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों, विशेषज्ञों और पैरामेडिकल कर्मचारियों की उपलब्धता के संबंध में विवरण निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:

https://www.mohfw-dohfw.gov.in/static/uploads/2026/05/57202cf30629539e4d0fb0a2f700ac62.pdf

(ग): आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) पोर्टल के अनुसार, संत कबीर नगर और अंबेडकर नगर जिलों में क्रमशः 230 और 344 एएएम कार्यशील हैं। हेल्थ डायनेमिक्स ऑफ इंडिया (एचडीआई) रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार, संत कबीर नगर जिले में 6 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) और एक जिला अस्पताल है, जबकि अंबेडकर नगर जिले में 11 सीएचसी, एक जिला अस्पताल और एक मेडिकल कॉलेज है। संत कबीर नगर और अंबेडकर नगर जिलों में पर्याप्त स्वास्थ्य परिचर्या की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिनमें आईसीयू बेड, ट्रॉमा केयर सुविधाएं, नैदानिक प्रयोगशालाएं, डायलिसिस इकाईयां, सीटी और एमआरआई सुविधाएं, एम्बुलेंस और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं शामिल हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, महात्मा ज्योतिबा फुले ज्वाइंट जिला अस्पताल, अंबेडकर नगर में 8 आईसीयू बेड, 10 नवजात शिशु परिचर्या इकाई (एसएनसीयू) बेड, 6 ट्रॉमा केयर बेड, एक एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला (आईपीएचएल), एक डायलिसिस इकाई, एक सीटी स्कैन इकाई, दो अल्ट्रासाउंड मशीनें, एक डिजिटल एक्स-रे मशीन, एक सामान्य एक्स-रे मशीन, और 100-बिस्तर वाला मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य (एमसीएच) विंग उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त, राज्य ने सूचित किया कि 108 आपातकालीन चिकित्सा परिवहन सेवा (ईएमटीएस) के माध्यम से दोनों जिलों में एम्बुलेंस सेवाएं कार्यशील हैं, जिसमें संत कबीर नगर और अंबेडकर नगर जिलों में क्रमशः 23 और 26 एम्बुलेंस हैं, एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट (एएलएस) एम्बुलेंस सेवा,

जिसमें संत कबीर नगर और अंबेडकर नगर जिलों में क्रमशः 6 और 5 एम्बुलेंस हैं और 102 एम्बुलेंस सेवा, जिसमें संत कबीर नगर तथा अंबेडकर नगर जिलों में क्रमशः 21 और 26 एम्बुलेंस हैं।

(घ): वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक उत्तर प्रदेश राज्य के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-अभिम) और अन्य केंद्रीय स्वास्थ्य योजनाओं के तहत केंद्रीय हिस्से के तौर पर जारी की गई और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

करोड़ रु. में

वित्त वर्ष	**एनएचएम**		**पीएम-अभिम**	
	केंद्रीय हिस्से के रूप में जारी	**व्यय**	**केंद्रीय हिस्से के रूप में जारी**	**व्यय**
2021-22	3,235.46	6,210.20	124.63	0.00
2022-23	5,133.59	8,828.29	173.71	254.04
2023-24	4,928.14	10,572.60	247.96	252.69
2024-25	5,853.43	10,377.16	400.95	544.74
2025-26	5,686.12	11,069.32	211.88	511.46

नोट:

1. व्यय में केंद्र द्वारा जारी, राज्य द्वारा जारी राशि और वर्ष की शुरुआत में अव्ययित शेष राशि शामिल है। व्यय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत एफएमआर के अनुसार है और यह अनंतिम है।
2. जारी की गई उक्त राशि केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदान के संबंध में है और इसमें राज्य द्वारा किया गया अंशदान शामिल नहीं है।

इसके अतिरिक्त, पंद्रहवें वित्त आयोग (एफसी-XV) के तहत वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक की पांच वर्षीय अवधि के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के लिए 9,328.15 करोड़ रुपये अनुमोदित किए गए हैं और 5,727.27 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

(ङ): राज्यों द्वारा पीआईपी में जिला अस्पतालों (डीएच) और अन्य स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों के उन्नयन और आवश्यकतानुसार अतिरिक्त स्वास्थ्य पेशेवरों की तैनाती का प्रस्ताव किया जाता है और मानदंडों के अनुसार इनका अनुमोदन किया जाता है।
